**भारत सरकार**
**वस्त्र मंत्रालय**
**वस्त्र आयुक्त का कार्यालय**
**48 न्यू मरीन लाईन्स(चर्चगेट),पो.बै.सं.11500,**
**न्यू सी.सी.ओ.बिल्डिंग, मुंबई-400 020**
**फैक्स: 022-2200 4693 ई-मेल:** textilec@gmail.com

सं 28(19)/2008-एम.एस./ दिनांक: 28 जुलाई, 2008

**प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियो)**
**(01/04/2007 से 31/03/2012)**

**परिपत्र सं.04**
**(2008-2009 श्रृंखला)**

नवगठित तकनीकी सलाहकार सह-देखरेख समिति द्वारा इसकी 25 जुलाई2008 को संपन्न द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णय :-

**क. प्रौउनियो के अंतर्गत 10% सीएलसीएस के लिए पात्र प्रोसेसिंग इकाइयों का समावेश:**

1. योजना के अंतर्गत विभेदक तिथि वितरण की तिथि पर आधारित होगी। यद्यपि ऋणद अभिकरणों द्वारा मशीनरी आपूर्तिकर्ता को सीधे भुगतान नहीं किया जाता बल्कि नो-लिएन खाते में 2-3 हिस्सों में वितरीत किया जाता है। इस प्रकार ऋणद अभिकरणों द्वारा समग्र परियोजना के लिए वितरण किया जाता है एवं विशिष्ट मशीन/उपकरण के लिए नहीं। विशिष्ट मशीनरी की प्राप्ति एवं उसके लिए किया गया वितरण का परस्पर संबंध स्थापित नहीं हो सकता। साथ ही समय-समय किए गए भुगतान, कंपनी द्वारा पहले ही वहन किए गए पूंजी व्यय की वापसी के रूप में हो सकते हैं। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में लागू मापदंडों (अर्थात वितरण की तिथियाँ विभेदक तिथियां होना),के साथ-साथ टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मशीनरी की अर्जन की तिथि भी 10% कॅपिटल सबसिडी हेतु विचाराधीन रखी जाएगी :-
2. मशीन में विभिन्न तिथियों को मंगाए गए एवं प्राप्त हुए विभिन्न घटक समाविष्ट हो सकते हैं (उदा. मल्टी चेंबर स्टेन्टर, जिसमें विभिन्न घटक

समाविष्ट होते हैं तथा उसके अनेक इनवॉइस रहते हैं)। यह निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों में इनवॉइस की सबसे पहले वाली तिथि को मशीन की प्राप्ति की तिथि माना जाएगा।

**ख. प्रौउनियो के अंतर्गत वूल कार्बनाइजिंग लाइन/प्लान्ट का समावेश:**

वूल कार्बनाईजिंग लाइन/प्लान्ट को 5% ब्याज वापसी के लिए प्रौउनियो पर सरकारी संकल्प के परिशिष्ट बी-2 (ए) में निम्नानुसार समाविष्ट किया गया है।

परिशिष्ट -बी-2(ए) 16 : वूल कार्बनाइजिंग लाइन/प्लांट

**ग. प्रौउनियो के अंतर्गत कताई क्षेत्र के लिए अतिरिक्त मशीनरी का समावेश:**

निम्नलिखित कताई मशीनरी 4% ब्याज वापसी के लिए प्रौउनियो पर सरकारी संकल्प के परिशिष्ट बी-1(ए) में निम्नानुसार समाविष्ट की गई है:

परिशिष्ट -बी-1(ए) 23 : रिंग डाटा मैनेजमेंट सिस्टम

परिशिष्ट -बी-1(ए) 24 : प्लाट एफिशियन्सि मैनेजमेंट सिस्टम

परिशिष्ट -बी-1(ए) 25 : केबलिंग मशीन

**घ. प्रौउनियो के अंतर्गत नमूना मशीनों का समावेश :**

समिति ने प्रौउनियो के अंतर्गत सभी पात्र मशीनों के नमूना मशीनों को कताई से अलग एवं कताई मशीनों के लिए क्रमश: 5% / 4% ब्याज वापसी के लिए समाविष्ट करने का निर्णय लिया है। पूर्ववर्ती प्रौउनियो में भी पात्र मशीनों के प्रयोगशाला रूपान्तर को 5% ब्याज वापसी हेतु समाविष्ट किया गया था।

**च. प्रौउनियो के अंतर्गत स्वचालित बीम स्टोरेज सिस्टम का समावेश:**

स्वचालित बीम स्टोरेज सिस्टम का 5% ब्याज वापसी के लिए प्रौउनियो पर सरकारी संकल्प के परिशिष्ट डी-1 में निम्नानुसार समावेश किया गया है:

परिशिष्ट- डी- 1 (ए) 24 : स्वचालित बीम स्टोरेज सिस्टम

**छ. प्रौउनियो के अंतर्गत प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए अतिरिक्त मशीनों का समावेश :**

निम्नलिखित प्रोसेसिंग मशीनरी 5% ब्याज वापसी हेतु प्रौउनियो पर सरकारी संकल्प के परिशिष्ट-एफ में निम्नानुसार समाविष्ट की गई है:

**परिशिष्ट -एफ- 70 :** मल्टी क्रॉस लिंकिंग रेसिन फिनिशिंग मशीन

**परिशिष्ट -एफ- 71 :** पाइल लिफिंटग मशीन

**परिशिष्ट -एफ- 72 :** कोटिंग लाइन हेतु फोमिंग डिवाइस

**परिशिष्ट -एफ- 73 :** कोटिंग लाइन हेतु लेटेक्स मिक्सिंग तथा डिस्पेंप्गि सिस्टम

**परिशिष्ट -**एफ-74 : मल्टीलेयर स्टेन्टर

**ज. प्रौउनियो के अंतर्गत गारमेंट/मेड-अप विनिर्माण हेतु अतिरिक्त मशीनरी का समावेश:**

निम्नलिखित मशीनरी 5% ब्याज वापसी हेतु प्रौउनियो पर सरकारी संकल्प के परिशिष्ट ई-(ए) में निम्नानुसार समाविष्ट की गई है।

**परिशिष्ट -ई-1(ए) 102** : रग्स/गारमेंट्स/मेडअप्स के लिए पैडल डाइंग मशीन

**परिशिष्ट -ई-1(ए) 103** : रग्स/गारमेंट्स/मेडअप्स के लिए ओपन पॉकेट डाइंग मशीन

**परिशिष्ट -ई-1(ए) 104** : शीट्स/टावेल के लिए स्वचालित लेंग्थ एवं क्रॉस कटिंग मशीन

**परिशिष्ट -ई-1(ए) 105** : फ्लेट/फिटेड शीट/टॉवेल/पिलो/पिलो शैम हेतु (क्रॉस हेमिंग मशीनी) लेंग्थ हेतु स्वचालित मशीन

**परिशिष्ट -ई-1(ए) 106** : फ्लैट/फिटेड शीट/टॉवेल/पिलो/पिलो शैम/डस्ट रफल हेतु स्वचालित फोल्डिंग एवं स्टेकिंग मशीन

**परिशिष्ट -ई-1(ए) 107** : स्वचालित कम्फर्टर शेल मेकिंग मशीन

**परिशिष्ट -ई-1(ए) 108** : पैकिंग के लिए कम्प्रेशन बैगर (इलेक्ट्रॉनिक न्यूमैटिंक बैंगिंग मशीन)

**परिशिष्ट -ई-1(ए) 109** : फ्लेंज पिलो केस के लिए स्वचालित मशीन

**परिशिष्ट -ई-1(ए) 110** : ब्लेंडिंग/ओपनिंग एवं पिलो फिलिंग लाइन्स

**परिशिष्ट -ई-1(ए) 111** : फिल्ड पिलो एवं क्विल्टस के लिए वैक्यूमाइजिंग पैकिंग युनिट्स

**परिशिष्ट -ई-1(ए) 112** : डाय कटिंग मशीन

**परिशिष्ट -ई-1(ए) 113** : टेबल टॉप टफ्टिंग मशीन

**परिशिष्ट -ई-1(ए) 114** : मॉस्टेच फॉर्मर

**परिशिष्ट -ई-1(ए) 115** : बेड फिलिंग मशीन

**परिशिष्ट -ई-1(ए) 116** : बॉल फाइबर मशीन

**झ.** **प्रौउनियो के अंतर्गत बुनाई के लिए नॉटिंग मशीन एवं पोजिशन ड्रिवन कम्प्रेसर स्टैन्ड असेम्बली का समावेश:**

**क.** नॉटिंग मशीन का समावेश किया गया है। प्रौउनियो पर सरकार संकल्प के परिशिष्ट डी -2 (डी )-7: वार्प नॉटिंग सिस्टम द्वारा नेट मेकिंग मशीन को तद्नुसार निम्नवत आशोधित किया गया है: परिशिष्ट - (डी )-2 (डी ) -7: वार्प नॉटिंग सिस्टम वाले मशीन

**ख.** बुनाई के लिए पोजिशन ड्रिवन कम्प्रेसर स्टैन्ड असेम्ब्ली को प्रौउनियो के अंतर्गत 5% ब्याज वापसी के लिए प्रौउनियो पर सरकारी संकल्प के परिशिष्ट - (डी )-2 (सी ) 8 में समाविष्ट किया गया है । : वार्प नॉटिंग सिस्टम परिशिष्ट-डी-2(सी )-8:पोजिशन ड्रिवन कम्प्रेसर स्टैन्ड असेम्ब्ली.

**ट.** **प्रौउनियो के अंतर्गत फेल्ट बनाने वाली मशीनों का समावेश:**

फेल्ट बनाने वाला पूर्ण संयन्त्र प्रौउनियो के अंतर्गत 5% ब्याज वापसी के लिए प्रौउनियो पर सरकारी संकल्प के परिशिष्ट-डी-2(एफ) 13 के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है:

परिशिष्ट-डी-2(एफ) 13: फेल्ट बनाने के लिए पूरा संयन्त्र:

**ठ.** **प्रौउनियो के अंतर्गत मशीनरी की लागत के 25% तक विद्युतीकरण के साथ-साथ अन्य विनिर्दिष्ट निवेश का समावेश :**

मशीनरी की लागत के 25% तक विद्युत उपकरण बिठाने के साथ अन्य विनिर्दिष्ट निवेश को प्रौउनियो पर सरकार संकल्प के पैरा 3.3(2) में निम्नानुसार समाविष्ट किया गया है।

पैरा 3.3 (2) (i) विद्युत उपकरण बिठाना

**ड.** **परिशिष्ट -जे 26 के विवरण में परिवर्तन :**

परिशिष्ट-जे-26 के विवरण को निम्नानुसार आशोधित किया गया है:

परिशिष्ट -जे- 26 : पीएलसी आधारित पूर्णतः स्वचालित रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, जिसमें चुंबकीय/एअर फ्लो स्क्वीज, सिस्टम, ऑन लाइन धुलाई व्यवस्था, शीघ्र परिवर्तन की सुविधा, स्वचालित डिजाइन सेटिंग/फ्लाइंग डिजाइन परिवर्तन(एफडीसी) पद्धति की सुविधाएं हों।

**ढ 15% की दर पर एमएमएस के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में आशोधन/वृद्धिः**

15% की दर से एमएमएस के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों से संबंधित परिशिष्ट क्यू में निम्नालिखित आशोधन/वृद्धि की गई है:

- 15% की दर से एमएमएस के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पहले संबंधित डीआईसी केन्द्र में उद्यमी ज्ञापन भरना आवश्यक है।
- **(क).** यद्यपि, जब एक व्यक्ति द्वारा प्रोप्राइटर के रूप में दो अथवा अधिक उद्यम स्थापित किए गए हैं, ऐसे औद्योगिक उद्यमों में से प्रत्येक उद्यम दूसरे उद्यम अथवा उद्यमों द्वारा नियंत्रित माना जाएगा।

अथवा

**(ख).** जब दो अथवा अधिक उद्यम भारतीय भागीदारी अधिनियम,1932 (1932 का एक ) के अंतर्गत भागीदारी फर्म के रूप में स्थापित किए गए हैं, तथा एक या अधिक भागीदार प्रत्येक फर्म में समान भागीदार हैं, ऐसे औद्योगिक उपक्रमों में से प्रत्येक उपक्रम अन्य उपक्रम अथवा उपक्रमों द्वारा नियंत्रित माना जाएगा।

अथवा

जब औद्योगिक उद्यम कंपनी अधिनियम,1956 (1956 का 1) के अंतर्गत कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए हैं तथा जहां एक या अधिक निदेशक समान/ एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने प्रोप्रायटरी /भागीदारी फर्म के लिए उनकी

स्वतंत्र क्षमता में पहले ही सबसिडी प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे उपक्रम अन्य उपक्रम अथवा उपक्रमों द्वारा नियंत्रित माने जाएंगे।

**ण. टीएएमसी द्वारा जारी दिशा-निर्देश :**

i. यह स्पष्ट किया गया था कि मशीनों के साथ प्राप्त उपकरण/उपांग/ अतिरिक्त पुरजे, जिनका मूल्य मशीनरी लागत के 20% है अथवा उनका वास्तविक मूल्य , जो भी कम हो, पूर्ववर्ती प्रौउनियो में समाविष्ट किया गया था एवं यह प्रावधान आशोधित प्रौउनियो में भी वैध है।

ii यह भी स्पष्ट किया गया था कि पूर्ववर्ती प्रौउनियो के अंतर्गत जो भी परिपत्र जारी किए गए हैं, आशोधित प्रौउनियो के लिए भी लागू है, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हैं।

iii यह स्पष्ट किया गया था कि प्रौउनियो के अंतर्गत पैरा-III, I iii ए-1 के अनुसार ब्याज वापसी 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू है, जिसमें कार्यान्वयन एवं विलंबन अवधि के लिए 2 वर्ष शामिल है। यह सूचित किया गया था कि यह मद आशोधित प्रौउनियो में पात्रता के निर्धारण के लिए विहित एन-1 प्रपत्र में दी गई है। अन्य शब्दों में प्रौउनियो सबसिडी विलंबन अवधि/ कार्यान्वयन के 2 वर्ष एवं 8 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि के लिए उपलब्ध होगी। परियोजना के पूर्ण होने की वास्तविक तिथि से परियोजना के कार्यान्वयन के आरंभ होने की तिथि को घटाकर आने वाली अवधि को कार्यान्वयन अवधि माना जाएगा। जबकि पुनर्भुगतान शुरू होने की तिथि से परियोजना पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को घटाकर आने वाली अवधि को विलंबन अवधि माना जाएगा। प्रौउनियो लाभार्थी 2 वर्ष की विलंबन अवधि एवं कार्यान्वयन अवधि के दौरान प्रौउनियो सबसिडी के लिए पात्र है। कार्यान्वयन एवं विलंबन अवधि 2 वर्ष से अधिक हो सकती है किन्तु कार्यान्वयन एवं विलंबन अवधि के लिए ब्याज वापसी की अवधि केवल 2 वर्ष तक ही सीमित होगी।

2. **प्रौउनियो के अंतर्गत ईसीबी के समावेश के संदर्भ में कई संदेह प्राप्त हुए हैं।**

यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय बैंक की विदेशी शाखा/विदेशी बैंक, जिनकी भारत में शाखा हो (सहयोजित प्रा.ऋ.सं. के रूप में रहते हुए) योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा ऋण के लिए विहित प्रौउनियो लाभ के लिए पात्र है, अर्थात् मूल दर से विनिमय दर से उतार-चढ़ाव के लिए 5% का सुरक्षा कवर अथवा प्रतिवर्ष 5% की सीमा तक फॉरवर्ड कवर प्रिमियम । तथापि कताई मशीनरी के मामले में 01/04/2007 से मंजूर मामलों के लिए विनियम दर उतार-चढ़ाव/फारवर्ड कवर प्रिमियम 4% प्रति वर्ष तक सीमित होगा।

3. **प्रौउनियो - 15% की दर से एमएमएस के अंतर्गत सबसिडी के बंटन के लिए आंकड़ो का प्रस्तुतीकरण**

अगर उद्यमी क्रम संख्या 4 से विकल्प 2 चुनते है तो प्रौउनियो - 15% की दर पर एमएमएस के अंतर्गत सबसिडी के बंटन के लिए प्रपत्र-III में जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऋणद अभिकरणों द्वारा पृथक मामलों के लिए सबसिडी के बंटन के लिए परिशिष्ट-1 तथा 2 में विहित प्रपत्र के अनुसार सीधे वस्त्र आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत जानकारी 31 जुलाई,2008 से स्वीकार नहीं की जाएगी अन्य शब्दों में प्रौउनियो- 15% की दर पर एमएमएस के अंतर्गत **विकल्प-2** के सभी मामलों पर सबसिडी के बंटन के लिए तभी विचार किया जाएगा जब उन्हें वस्त्र आयुक्त कार्यालय की ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से विहित प्रपत्र-III में जमा किया जाए।

4. **आइडीबीआई द्वारा बैंकों का समायोजन:**

आईडीबीआई ने निम्नलिखित बैंकों को प्रौउनियो के अंतर्गत गैर एसएसएम क्षेत्र के लिए सहयोजित किया है।

i. ड्यूच बैंक ए.जी.

ii. कोटक महिंद्रा बैंक लि.

कृपया प्रौउनि योजना में उपरोक्त स्पष्टीकरण/प्रक्रिया सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

(श्रीमती शशी सिंह)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

प्रति :-

1. सभी नोडल अभिकरण /नोडल बैंक / सहयोजित प्रा.ऋ.संस्थान ।
2. सभी राज्यों के सचिव (वस्त्र)
3. सभी मुख्य वस्त्रोद्योग संघ/व्यापार संघ/अखिल भारतीय उद्योग संघ/चेम्बर ऑफ
4. कामर्स एवं इण्डस्ट्री
5. विकास आयुक्त (हथकरघा)
6. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
7. पटसन आयुक्त
8. सदस्य-सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड
9. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक
10. सभी वस्त्र अनुसंधान संघों के निदेशक
11. सभी निर्यात संवर्धन केन्द्रों के कार्यपालक निदेशक ।
12. प्रमुख समाचार एजेंसी
13. वस्त्र आयुक्त कार्यालय के सभी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी
14. सचिव, वस्त्र समिति, मुंबई
15. प्रभारी अधिकारी, सभी विद्युत कर्घा सेवा केन्द्र,

प्रतिलिपि:

1. आईएमएससी तथा टीएएमसी के सभी सदस्य ।
2. डॉ.जे.एन.सिंह, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय,नई दिल्ली -110 011
3. श्री बी.एन.सिन्हा, निदेशक, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -110 011
4. श्री विजय कुमार,अनुभाग अधिकारी , वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -110 011

(श्रीमती शशी सिंह)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त